हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

HARISHCHANDRA POST GRADUATE COLLEGE, VARANASI

Affliated: Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi

प्रवेश परीक्षाः सूचना विवरणिका

Entrance Examination: Information Brochure

2025-2026

B.A., B.Sc. [MATHS], B.Sc. [BIO], B. Com., LL.B.

M.A.: Political Science, Psychology, Geography, Hindi, English

M.Sc.: Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Mathematics, Statistics

B.Com., B.B.A.

।। वाग्देवी स्तुति ।।

कुलगीत

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो
यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्त -
श्चिव्कीर्षुर्लोकसंग्रहम् ।
न बुद्धि भेदं जनयेद -
ज्ञानां कर्मसंगिनाम्
जोषयेत्सर्वकर्माणि
विद्वान युक्तः समाचरन्।।

हम सबके प्राणों का प्यारा, यह विद्यालय है।
जीवन का साथी ध्रुवतारा, यह विद्यालय है।
हरिश्चन्द्र का तप है पावन,
यह उनका है कीर्ति -निकेतन,
माँ हिन्दी का सबल सहारा, यह विद्यालय है।
सदाचार, संयम, अनुशासन,
देश-प्रेम का व्रती चिरन्तन,
सभी भाँति औरों से न्यारा, यह विद्यालय है।
भारतेन्दु की ज्योति अमर है,
यह अक्षर है, अविनश्वर है,
सुन्दर शिव संकल्प सँवारा, यह विद्यालय है।
हम सबका बस यही ध्येय हो,
प्रिय प्रवाह इसका अजेय हो,
सुखद ज्ञान गंगा की धारा, यह विद्यालय है।
यहाँ रहें या और कहीं हम,
इसका स्नेह नहीं होगा कम,
हम इसके हैं और हमारा, यह विद्यालय है।

स्व० कान्तानाथ पाण्डेय 'राजहंस'
(पूर्व प्राचार्य)

संस्था का संक्षिप्त इतिहास

इस महाविद्यालय के प्रवेशार्थियों को स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के संस्थापक आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी हैं। भारतेन्दु जी ने 34 वर्ष 03 माह के अल्प जीवन काल में ही साहित्य, समाज, संस्कृति, भाषा और राष्ट्र की जो सेवा की, वह भावी पीढ़ी के लिये दृष्टांत है। उनका अवतरण काशी के एक सम्पन्न वैश्य कुल में 09 सितम्बर, 1850 ई. को एवं महाप्रयाण 06 जनवरी, 1885 ई. को हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के व्यक्तित्व में युग-परिवर्तन, युग-नियमन और युग नेतृत्व की पूर्ण क्षमता विद्मान थी। उनका साहित्य तत्कालीन भारतीय जनता के लिए जितना स्फूर्तिदायी एवं प्रेरणादायक, चरित्र निर्माणक तथा राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत था, वह आज के भारत के लिए भी उतना ही अर्थवत्तापूर्ण है। आपने 'भारत दुर्दशा', 'नील देवी', 'अंधेर-नगरी', 'विषस्य विषमौषधम', 'प्रेमजोगिनी' प्रभृति नाटकों के माध्यम से देश, समाज और, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का जैसा चित्र खींचा है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। नवजागरण, सामाजिक और धार्मिक परिमार्जन आदि उनकी इन कृतियों का उद्देश्य रहा है। 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल' तथा 'स्वत्व निज भारत गहे' (स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है) का नारा देकर भारतेन्दु जी ने राष्ट्र को जो नवीन दृष्टि प्रदान की है वह किसी से छिपा नहीं है। अपनी उपर्युक्त सामाजिक-सांस्कृतिक नवचेतना को देशकालातीत तथा सार्वकालिक बनाने के उद्देश्य से ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने सन् 1866 ई. में अपने चौखम्बा स्थित निवास स्थान पर मुहल्ले के पाँच विद्यार्थियों को लेकर एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की। सर्वप्रथम इस पाठशाला का नाम 'चौखम्भा स्कूल' रखा गयाा। तद्योपरान्त 'चौक स्कूल' और अन्ततः गोलोकवासी संस्थापक के स्मारक के रूप में इसका नाम 'श्री हरिश्चन्द्र विद्यालय' रखा गया। यह विद्यालय द्रुत गति से प्रगतिपथ पर अग्रसर हो रहा था। अतः इसे ध्यान में रखकर ही सन् 1888 ई. में यहां मिडिल कक्षाएं प्रारम्भ की गयीं।। सन् 1910 ई. में हाईस्कूल की कक्षाओं का शुभारम्भ हुआ। 26 नवम्बर, 1909 ई. को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जान हिवेट महोदय ने मैदागिन स्थित नये भवन का शिलान्यास किया तथा 26 नवम्बर, 1911 ई. को नये भवन का उद्घाटन हुआ। नगर के मध्य में इस भवन का निर्माण हो जाने से विद्यालय को स्थायित्व और विशेष सम्मान मिला। सन् 1939 ई. में स्व० बेनीप्रसाद गुप्त के प्रयत्न से इण्टरमीडिएट कक्षाओं का श्रीगणेश हुआ। भगीरथ प्रयत्न के पश्चात् भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की गरिमा के अनुकूल ही 04 अक्टूबर, सन् 1951 ई. को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ तथा स्नातक की कक्षाओं का शुभारम्भ हुआ। तत्कालीन उपकुलपति डॉ० वेणीशंकर झा की कृपा से सन् 1958 ई. में विधि की कक्षाओं को मान्यता मिली।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नियमों मे परिवर्तन होने के कारण सन् 1960 ई. में यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गया और इस विश्वविद्यालय ने सन् 1960 ई. में ही अध्यापक प्रशिक्षण विभाग (बी०एड०) तथा सन् 1963 ई. में विज्ञान (गणित) की कक्षाओं को मान्यता दे दी। 1970 ई. में वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुईं। महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉ० बी०बी० सिंह बिसेन के प्रयास से सन् 1974 ई. में जीव विज्ञान तथा सन् 1980 ई. में एम.ए./एम.एस-सी. में सांख्यिकी की कक्षाएं प्रारम्भ हो सकी। रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति पद को ग्रहण कर लेने पर भी महाविद्यालय के विकास के प्रति उनकी सक्रियता में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी। डॉ० बिसेन तथा श्री ओम प्रकाश कपूर के प्रयास से सन् 1986 ई. में हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ प्रारम्भ हुयीं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना के परिणामस्वरूप सत्र 1987–88 से यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थान पर उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गया। सत्र 1993–94 में गणित में एम.ए./एम.एस-सी. की कक्षाओं के खुल जाने से महाविद्यालय में सांख्यिकी के साथ-साथ गणित में भी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन होने लगा। महाविद्यालय में सत्र 2000–01 से तत्कालीन प्राचार्य डॉ० बी.एन. सिंह के प्रयासों से रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान तथा सत्र 2002–03 से तत्कालीन प्राचार्य डॉ० पी.एन. त्रिपाठी के प्रयास से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन प्रारम्भ हुआ। सत्र 2006–07 से अंग्रेजी एवं मनोविज्ञान में भी स्नातकोत्तर की कक्षायें प्रारम्भ हुईं। महाविद्यालय के नवीन परिसर भारतेन्दु नगर बावनबीघा में सत्र 2007–08 से बी.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। मास कम्यूनिकेशन एण्ड वीडियो प्रोडक्शन पाठ्यक्रम को स्नातक (कला एवं विज्ञान संकाय) स्तर पर एक विषय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांन्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा 'व्यावसायिक शिक्षा योजना' के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई। छात्र-छात्राओं को इस विषय के अन्तर्गत सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रमों तथा विज्ञापन निर्माण के लिए फोटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग तथा फिल्म सम्पादन का क्रियात्मक

व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जुलाई सन् 2010 से शासन के आदेशानुसार यह महाविद्यालय 'महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी' से सम्बद्ध है।

पूर्व प्राचार्य डॉ० सोहन लाल यादव के अथक प्रयासों से सत्र 2013–14 से महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.सी.ए., शारीरिक शिक्षा, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र की कक्षाएँ तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में भूगोल एवं भौतिक विज्ञान में अध्यापन प्रारम्भ हो सका। इस प्रकार विज्ञान संकाय के सभी विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन होने लगा। आपके प्रयास से 02 अप्रैल 2018 से इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नयी दिल्ली (IGNOU) का नियमित अध्ययन केन्द्र (48048) प्रारम्भ हो गया है जिससे महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। आगामी सत्रों में एल.एल.एम., एम.एड. तथा कला संकाय के कुछ अन्य विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं का संचालन महाविद्यालय की प्राथमिकता में शामिल है।

यह संस्था विगत 148 वर्षों से शिक्षा के पुनीत कार्य में संलग्न है। यहाँ के कतिपय पुराने छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज व देश की अविस्मरणीय सेवा की है, जिनमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री, नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं मनीषी स्व० डॉ० सम्पूर्णानन्द, बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल स्व० त्रिभुवन नारायण सिंह तथा ब्रिगेडियर स्व० उस्मान आदि का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। छात्रों की वर्तमान पीढ़ी की प्रेरणा हेतु महाविद्यालय में भारतेन्दु पुरातन छात्र एसोसिएसन का गठन किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य वार्षिक समागमों को आयोजित कर देश-विदेश के विभिन्न भागों में कार्यरत पुरातन छात्रों एवं वर्तमान छात्रों के बीच संवाद स्थापित करना एवं महाविद्यालय के विकास एवं विस्तार में पुरातन एवं वर्तमान छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। छात्रों की वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर एवं उनका अनुसरण करते हुए देश के नवनिर्माण में उनकी ही भाँति अपना योगदान करना चाहिए।

यह निर्देशिका छात्रों की सुविधा हेतु प्रकाशित की गयी है। छात्रों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर महाविद्यालय की कार्यविधि व नियमों से परिचित हो जायें। संस्था में नियमों का पालन न केवल अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण के लिए आवश्यक है, अपितु आदर्श नागरिक एवं प्रभावी चरित्र निर्माण के लिए भी इसका समुचित प्रतिपालन अपेक्षित है। प्रत्येक विद्यार्थी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिनियमों, परिनियमों एवं राज्य सरकार के अध्यादेशों में दिए गए नियम ही मान्य होंगे।

हमारी प्राथमिकताएँ, परिकल्पनाएँ एवं हमारे स्वप्न

उच्च शिक्षा की व्यापक परिधि एवं परिवेश में सन्निहित गुणों को समायोजित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से बनाए रखना, राष्ट्रीय, वैश्विक आवश्यकताओं एवं हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का समुचित प्रचार-प्रसार करना, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं विरासत को संजोए रखने में योगदान करना।

हमारा उद्देश्य, हमारी मंजिलें

1. क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु छात्रों में सम्बन्धित ज्ञान, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति एवं रचनात्मक गुणों को समाहित करना तथा उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में उन्हें योग्य एवं सशक्त बनाना।
2. स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान में विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनके हित में व्यापक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. शिक्षा में अभिन्न अंगो के रूप में आध्यात्मिक एवं नीतिगत मूल्यों पर आधारित युवाओं के चरित्र-निर्माण के अवसरों को प्रोन्नत करना।
4. समाज के विभिन्न वर्गो में समानता के आधार पर एकरूपता एवं भाई-चारे की भावना विकसित करना।
5. जीवन के हर क्षेत्र में सार्थक एवं आदर्श नेतृत्व प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराना।

ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा फार्म भरने हेतु आवश्यक निर्देश

- स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में तीन वर्ष से अधिक अन्तराल (योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष) के प्रवेशार्थियों का प्रवेश नहीं होगा।
- विधि कक्षा (एल एल.बी.) में आवेदन हेतु समय अन्तराल की कोई बाध्यता नहीं है।
- सभी प्रवेशार्थी आवेदन करने से पूर्व महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका डाउनलोड करके अवश्य पढ़ लें। एक बार आवेदन करने के बाद किसी भी दशा में आवेदन राशि वापस नहीं की जायेगी।
- स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विधि प्रथम सेमेस्टर में आवेदन करने वाले प्रवेशार्थी अपना आवेदन सही-सही पूर्ण रुप से भरेगें। अपूर्ण आवेदन भरने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रवेशार्थी की होगी।
- सभी आवेदनकर्ता आवेदन करने के बाद अनिवार्य रुप से आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट निकालकर उसका पुनः परीक्षण कर लें। यदि आवेदन-पत्र में कोई अभ्युक्ति त्रुटिवश अंकित हो गयी हो तो आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व ही उसमें यथोचित संशोधन करा लें। संशोधन अथवा अन्य किसी समस्या के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नम्बर तथा ई-मेल आई डी वेबसाइट पर लिखी हुई है।
- प्रवेश आवेदन-पत्र में भरी गयी वह सभी अभ्युक्तियाँ/सूचनायें/जानकारियाँ जो प्रवेशार्थी की मेरिट पर प्रभाव डालती हैं, आवेदन करने की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी दशा में परिवर्तनीय नहीं है। यथा- जाति, कैटेगरी, अधिभार, **EWS, FF, MM, PH, HC/OC** आदि। ऐसी किसी विसंगति हेतु आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उसे आवेदन-पत्र में पूरित अभ्युक्तियों के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
- **OBC, S.C. S.T.** का प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश का राज्यस्तरीय ही मान्य होगा। ०१ जुलाई २०२२ अथवा उसके बाद निर्गत **OBC** का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- ०१ अप्रैल २०२५ अथवा उसके बाद निर्गत **EWS** का उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- मेडिकल बोर्ड बोर्ड/सी०एम०ओ० द्वारा ४० प्रतिशत एवं उससे अधिक का ही दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- आवेदन की अन्तिम तिथि के पूर्व ही आवेदन-पत्र का प्रिन्ट आउट अवश्य निकाल लें क्योंकि काउन्सलिंग के समय दो प्रतियों में आवेदन-पत्र लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग दण्डनीय अपराध है।

प्रवेश सम्बन्धी सूचना

१.(क) सत्र 2025–26 में स्नातक (बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी० एवं एलएल०बी०) तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित छात्रों के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश योग्यता सूचकांक निर्धारित किया जाएगा तथा पूर्व निर्धारित सीटों पर प्रवेश लिया जायेगा।

(ख) एम.ए. प्रथम सेमेस्टर (हिन्दी/मनोविज्ञान/राजनीतिशास्त्र/अंग्रेजी/भूगोल/सांख्यिकी/गणित) में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से क्रमशः स्नातक अन्तिम वर्ष अथवा सेमेस्टर (हिन्दी/मनोविज्ञान/राजनीतिशास्त्र/अंग्रेजी/भूगोल /सांख्यिकी/गणित) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ग) एम.काम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(घ) एम.एस-सी. प्रथम सेमेस्टर (रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, गणित) में प्रवेश लेने हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक (अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

२. इण्टरमीडिएट एवं स्नातक स्तर पर सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 40% से कम अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 33% से कम अंक प्राप्त प्रवेशार्थी का प्रवेश क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में विचारणीय नहीं है। स्ववित्तपोषित विषयों में इसे प्रवेश समिति शिथिल कर सकती है।

३. तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं होगा। (एल एल.बी. को छोड़कर)

४. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के पश्चात् किसी भी संकाय में कोई प्रवेश नहीं होगा।

५. यदि कोई प्रवेशार्थी विकल्प स्वरूप एक से अधिक संकायो में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरना चाहता है तो उसे प्रत्येक संकाय/विभाग के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र भरना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में एक संकाय/विभाग से दूसरे संकाय/विभाग में प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्रों का स्थानान्तरण नहीं होगा।

६. प्रवेश परीक्षा के पश्चात् योग्यता सूचकांक के आधार पर अर्हता प्राप्त छात्रों का प्रवेश के लिए काउन्सलिंग होगी। काउन्सलिंग के समय छात्रों को अपने प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करने हेतु समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल एवं सत्यापित छायाप्रतियाँ लाना आवश्यक होगा। प्रवेश-पत्र एवं प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक भी संलग्न करना आवश्यक है।

7. एम.ए./एम.काम./एम.एस-सी. में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्या निम्नानुसार है -

(1) एम.काम.	60 सीट	(7) एम.एस-सी. रसायन विज्ञान	30 सीट
(2) एम.ए. हिन्दी	60 सीट	(8) एम.एस-सी. प्राणि विज्ञान	30 सीट
(3) एम.ए. राजनीतिशास्त्र	60 सीट	(9) एम.एस-सी. वनस्पति विज्ञान	30 सीट
(4) एम.ए. मनोविज्ञान	30 सीट	(10) एम.ए./एम.एस-सी. सांख्यिकी	20 सीट
(5) एम.ए. अंग्रेजी	60 सीट	(11) एम.ए./एम.एस-सी. गणित	60 सीट
(6) एम.ए. भूगोल	30 सीट	(12) एम.एस-सी. भौतिक विज्ञान	30 सीट

8. बी.ए/बी.कॉम/बी.एस-सी./विधि/बी.एड. में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्या निम्नानुसार है-

(1) कला संकाय	700 सीट	(4) विधि संकाय	300 सीट
(2) वाणिज्य संकाय	480 सीट	(5) बी.एड. (शिक्षा) संकाय	100 सीट
(3) विज्ञान संकाय (बॉयलोजी वर्ग) BZC/BZM	200 सीट	(6) विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) PMC/PMS/PMM	267 सीट

आरक्षण

महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग में अभ्यर्थियों का प्रवेश उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अध्यादेश/नियमों (शासनादेश सं० ११६१/७०-२-२०१०(५८)/७६ दिनांक ११ जून २०१०) के अनुसार ही देय होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी के जाति का उल्लेख होना आवश्यक है। उपरोक्त सीटों पर निम्न प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू होगाः-

(क)			(ख) (क) के अन्तर्गत (ख) आरक्षण प्रदान किया जायेगा।		
(1)	अनुसूचित जाति	21%	(1)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (F.F.)	2%
(2)	अनुसूचित जनजाति	2%	(2)	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ.प्र. में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को (M.M.)	5%
(3)	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	(3)	दिव्यांग अभ्यर्थी (P.H.)	3%
(4)	सामान्य (अनारक्षित)	50%	(4)	महिला आरक्षण (शासनादेश सं० ११६१/७०-२-२०१०(५८)/७६ दिनांक ११ जून २०१० एवं १४८३/७०-२-२०१०-३(५८)/७६ दिनांक १५ जुलाई २०१० के अनुपालन में	20%
(5)	ई०डब्ल्यू०एस०	10%			

- आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मूल सीट के 10% सीट पर नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। EWS का प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ (०१ अप्रैल २०२५ व उसके बाद का) में जारी ही मान्य होगा। आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अन्य किसी प्रदेश का बना ई०डब्ल्यू०एस० का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है। (शासनादेश सं०: १५७७/७६-वि-१-२०-१(क)-४-२०, दिनांक ३१ अगस्त २०२०)
- प्रवेश आवेदन पत्र में भरी गयी वह अभ्युक्तियाँ जो प्रवेशार्थी की मेरिट पर प्रभाव डालती हैं, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद किसी भी दशा में परिवर्तनीय नहीं है। यथा- जाति, एच०सी०/ओ०सी०, EWS, कैटेगरी, एफ०एफ०, एम०एम०, पी०एच० एवं अन्य अधिभार आदि।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र हेतु उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही अनुमन्य होगें। तीन वर्ष (०१ जुलाई २०२२ के) पूर्व का अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र हेतु उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही अनुमन्य होगें।
- दिव्यांग अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगें। मेडिकल बोर्ड/सी०एम०ओ० द्वारा प्रदत्त ४० प्रतिशत अथवा उससे अधिक का ही दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अधिनियम २००६ की धारा ०६ के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का राज्यस्तरीय जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संयोजक के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रवेशार्थी से स्वप्रमाणित कराकर जमा की जायेगी।

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र, पेंशन प्रपत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा आश्रित होने का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, हलफनामे द्वारा प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा पेंशन पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि एवं हलफनामे की मूल प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण) संशोधन अधिनियम 2015'' में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है।

  ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) में प्रावधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित'' जैसा उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (61) में परिभाषित है, के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

- उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ.प्र. में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को अपने पिता के पेंशन-पत्र व परिचय पत्र की एक-एक प्रमाणित प्रतिलिपि अपने आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

- आरक्षित कोटे के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अर्ह प्रवेशार्थियों को प्रथम दृष्ट्या अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण-पत्रों के सम्यक् जांचोपरान्त ही उनका प्रवेश नियमित किया जायेगा।

वरीयता सूची

(क) स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही सूचकांक निर्धारित होगा एवं किसी भी प्रकार अधिभार देय नहीं होगा।

(ख) हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी के संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में स्नातक (योग्यता प्रदायी परीक्षा) उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों, जिन्होंने प्रवेश आवेदन पत्र में एच०सी० दर्ज किया है, को स्नातकोत्तर एवं विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर 10 अंकों का अधिभार दिया जायेगा।

(ग) महाविद्यालय के नियमित एवं स्ववित्तपोषित (जिनका GPF/NPS/EPF कटता है) प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री का प्रवेश विश्वविद्यालय एवं हरिश्चन्द्र महाविद्यालय के प्रवेश सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

भारांक

स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंक भारांक के रूप में जोड़ा जाएगा। केवल निम्न प्रमाण-पत्रों पर ही भारांक प्रदान किया जाएगा। १. एन.सी.सी. सर्टिफिकेट धारकों हेतु (B प्रमाण-पत्र- ०५, C प्रमाण-पत्र- 10 अंक), २. एन.एस.एस. प्रमाण-पत्र धारकों हेतु (एक कैम्प व एक वर्ष सदस्यता- ०५, एक कैम्प व दो वर्ष सदस्यता- ०७ अंक) एवं ३. रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण-पत्र धारकों हेतु (प्रवीण- ५, निपुण- ०७, विश्वविद्यालय समागम सहभागिता- १० अंक)। किसी भी प्रवेशार्थी को भारांक १५ अंक से अधिक देय नहीं होगा जिसमें HC/OC का विकल्प भी सम्मिलित होगा।

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा में अनुचित साधन के आरोपों का जब तक विश्वविद्यालय से निराकरण नहीं हो जाता सम्बन्धित छात्र-छात्रा का स्थायी/अस्थायी प्रवेश नहीं होगा।
2. किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से विगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. अभ्यर्थियों द्वारा जमा प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

4. प्रवेश लेते समय प्रवेशार्थी को सभी वांछित प्रपत्र की मूल प्रतियाँ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर संयोजक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं देंगे।

5. कोई भी प्रवेशार्थी प्रवेश लेते समय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/ माइग्रेशन की मूल प्रति कदापि जमा न करे। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/ माइग्रेशन की मूल प्रति परीक्षा आवेदनपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/ माइग्रेशन की मूल प्रति के परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किया जायेगा।

6. प्रवेश समिति के संयोजक के हस्ताक्षरयुक्त प्रवेश आवेदन-पत्र को रजिस्टर पर अंकित कर कार्यालय को शुल्क ऑनलाइन जमा करने हेतु भेजा जायेगा। शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा सम्बन्धित प्रवेशार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं वरीयताक्रम के अनुसार दूसरे प्रवेशार्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रवेशार्थी की होगी।

7. महाविद्यालय प्रशासन बिना कोई कारण बताए किसी भी छात्र का प्रवेश अस्वीकृत कर सकता है।

8. यदि किसी प्रवेशार्थी की प्रवेश के समय अर्हता अंकतालिका मूलप्रति उपलब्ध नहीं है तो उसे डिजी लॉकर पर उपलब्ध अर्हता अंकतालिका के आधार पर अस्थायी सशर्त प्रवेश दिया जायेगा कि वह परीक्षा फार्म भरते समय अनिवार्य रुप से अर्हता अंकतालिका की मूलप्रति उपलब्ध करायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रवेशार्थी को एक शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।

9. स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु जिन प्रवेशार्थियों का इण्टरमीडिएट कक्षा में कम्पार्टमेण्ट लगा है, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है।

10. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु जिन प्रवेशार्थियों का स्नातक षष्ठ सेमेस्टर की अंकतालकि में बैक लगा है, उन्हें स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

11. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर एवं एलएल.बी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु, जहाँ स्नातक उत्तीर्ण होने की योग्यता अनिवार्य है, वहाँ स्नातक स्तर का अन्तिम सेमेस्टर की अंकतालिका (मूलप्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऑनलाइन अंकतालिका प्रस्तुत करने की दशा में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा ऑनलाइन अंकतालिका को प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य है। साथ ही इस आशय का एक शपथपत्र भी देना आवश्यक है कि ''प्रवेशार्थी परीक्षा फार्म जमा करते समय ऑफलाइन अंकतालिका की मूलप्रति उपलब्ध करायेगा तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा कर देगा'', अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

शपथ पत्र

जो छात्र संस्थागत न होने से अपनी शिक्षण-संस्था से चरित्र प्रमाण-पत्र। नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उनके अध्ययन काल में अन्तराल है, उन्हें अध्ययन अन्तराल एवं चरित्र प्रमाण-पत्र के लिए नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त हलफनामा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है-

1. यह कि मैंने सत्र (पिछले सत्र) .... में किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन नहीं किया है। मैं किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित भी नहीं किया गया/गयी हूँ।

2. यह कि मैं सत्र .... में .... के कारण किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर न पढ़ सका/सकी।

3. यह कि मैं भारतीय दण्ड विधान की किसी भी आपराधिक धारा के अन्तर्गत न तो दण्डित हूँ और न ही इस प्रकार का कोई मुकदमा मेरे विरूद्ध अदालत में विचाराधीन है। (यदि ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो तो स्पष्टीकरण दें।)

4. यह कि मैं महाविद्यालय में अपने अध्ययन काल में निष्ठापूर्वक अध्ययन करूँगा तथा महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करते हुए अनुशासित रहूँगा/रहूँगी।

5. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।

NEP २०२० के तहत् पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की वेबसाइट www.hcpgcollege.edu.in पर एवं महाविद्यालय के ग्रन्थालय में उपलब्ध हैं, जिनमें पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों से सम्बन्धित समस्त विवरण विस्तारपूर्वक दिये गये हैं। अतः विस्तृत जानकारी के लिए छात्रों को पाठ्यक्रम का अवलोकन करना चाहिए। इसके लिये छात्र/छात्रायें सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

स्नातक व परास्नातक में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम सम्बन्धी नियम

स्नातक अध्ययन (बी.ए./बी.एस-सी/बी.कॉम) : स्नातक अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (01 जुलाई 2021 से लागू) पर आधारित त्रिवर्षीय (छः सेमेस्टर) पाठ्यक्रम है। स्नातक प्रथम सेमेस्टर में छात्र/छात्राओं का प्रवेश महाविद्यालय की प्रवेश-परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर होगा। विश्वविद्यालयी परिनियमावली के आधार पर प्रत्येक वर्ष 02 सेमेस्टर (कुल छः सेमेस्टर) के आधार पर निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार परीक्षाएं सम्पादित होंगी।

परास्नातक अध्ययन (एम०ए०/एम०एस-सी०/एम०कॉम०) : परास्नातक अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (01 जुलाई 2022 से लागू) पर आधारित द्विवर्षीय (चार सेमेस्टर) पाठ्यक्रम है। इसमें प्रथम सेमेस्टर में छात्र/छात्राओं का प्रवेश महाविद्यालयीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। विश्वविद्यालयीय परिनियमावली के आधार पर प्रत्येक वर्ष 2 सेमेस्टर (कुल चार सेमेस्टर) प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार परीक्षाएं सम्पादित होगी।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु NEP २०२० के तहत् मेजर व माइनर के लिए विषय-पुँज तथा अनिवार्य मेजर प्रश्न-पत्रों के चयन सम्बन्धी नियम/ मेजर एवं माइनर विषय आवंटन हेतु दिशा निर्देश

- सभी संकायों के स्नातक स्तर पर विषयगत प्रश्न-पत्रों का चयन बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम के प्रत्येक सेमेस्टर में दो मेजर, एक माइनर (इलेक्टिव), एक वोकेशनल (स्किल डेवलपमेंट) तथा एक को-कैरिकुलर (अनिवार्य प्रश्न-पत्र) इस प्रकार (२+१+१+१) कुल पॉच प्रश्न-पत्रों का चयन करना होगा।
- सत्र २०२४-२५ से एन.इ.पी. २०२० के अन्तर्गत चलाये जा रहे स्नातक पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी को प्रवेश के समय दो मेजर विषयें का चयन किसी एक संकाय से करना होगा और यही उनका अपना संकाय होगा। इन्ही दो स्नातक मेजर विषयों के साथ विद्यार्थी इस संकाय में अगले तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) तक अध्ययन करेगा।
- छात्र को अपने पहले मुख्य विषय के लिए एक समूह से तथा दूसरे मुख्य विषय के लिए दूसरे समूह से विषय का चयन करना होगा।
- छात्र को संकाय के आधार पर महाविद्यालय में चलाये जा रहे माइनर विषय का चयन करना होगा।
- मेजर पेपर के समान माइनर पेपर भी ०६ क्रेडिट का होगा।
- माइनर पेपर की परीक्षा द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उस विषय की मेजन पेपर की परीक्षा के साथ सम्पन्न होगी।

भाषा तथा कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

बी.ए. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के लिये निम्न प्रकार किन्हीं दो मेजर प्रश्न-पत्रों को विषय पुंजों के आधार पर सावधानी पूर्वक चयन करना होगा :-

१. भाषा संकाय - निम्न तीनों विषयों में से किन्हीं दो विषयों को एक साथ ले सकते हैं-

(१) हिन्दी, (२) अंग्रेजी, (३) संस्कृत

२. कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय-

(१) प्राचीन इतिहास (२) मध्य कालीन इतिहास, (३) राजनीति विज्ञान (४) अर्थशास्त्र (५) भूगोल- प्रयोगात्मक (६) मनोविज्ञान- प्रयोगात्मक (७) मॉस कम्यूनिकेशन एवं जनसंचार- प्रयोगात्मक (८) शारीरिक शिक्षा- प्रयोगात्मक

नोट - (१) अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी (EMS) विषय- कोई भी दो विषय एक साथ लिये जा सकते हैं।

(२) प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास- एक साथ नहीं दिया जायेगा।

(३) प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास विषय के साथ भूगोल विषय नहीं दिया जायेगा।

(४) दो प्रयोगात्मक विषय एक साथ नहीं दिये जा सकते हैं।

(५) विद्यार्थी अपना Major (मुख्य) विषय निर्धारण (चयन) करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि प्रवेश प्राप्त करने के बाद किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

SUBJECT COMBINATION OF ARTS FACULTY

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F	Group G	Group H	Group I
HINDI	ENGLISH	ANCIENT HISTORY	ECONOMICS	MATHS*	POLITICAL SCIENCE	MASS COMMUNICATION	PHYSICAL EDUCATION	PSYCHOLOGY
	SANSKRIT	MODERN HISTORY						STATISTICS*
		GEOGRAPHY						

* प्रदर्शित विषय के आवंटन के लिए प्रवेशार्थियों का १२वीं कक्षा में मुख्य विषय के रुप में गणित होना अनिवार्य है।

१	**मुख्य विषय/ Major Subject**	**निर्देशानुसार ऐच्छिक**
२	**मुख्य विषय/ Major Subject**	**निर्देशानुसार ऐच्छिक**
३	**गौण विषय/ Minor Subject**	**Business Communication**
४	**Skill Development/ Vocational**	**Commercial Hindi**
५	**Co-curricular**	**Food, Nutrition & Hygine**

विज्ञान संकाय

बी.एस-सी. प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिये विषयगत मेजर प्रश्न-पत्रों के चार ग्रुप निम्न प्रकार हैं। प्रत्येक ग्रुप में से किन्ही दो विषयों का चयन मेजर विषय के रुप में किया जा सकता है।

SUBJECT COMBINATION OF SCIENCE FACULTY

Group A	Group B	Group C	Group D
PHYSICS*	MATHEMATICS*	CHEMISTRY*	MASS COMMUNICATION
ZOOLOGY*	BOTANY*	STATISTICS**	

* प्रदर्शित विषय के आवंटन के लिए प्रवेशार्थियों का १२वीं कक्षा में मुख्य विषय के रुप में सम्बन्धित विषय होना अनिवार्य है।

** प्रदर्शित विषय के आवंटन के लिए प्रवेशार्थियों का १२वीं कक्षा में छात्र/छात्राओं का मुख्य विषय के रुप में गणित विषय होना अनिवार्य है।

नोट - रसायन विज्ञान व सांख्यिकी विषय के स्थान पर मॉस कम्युनिकेशन एण्ड जनसंचार विषय लिया जा सकता है।

१	मुख्य विषय/ Major Subject	निर्देशानुसार ऐच्छिक
२	मुख्य विषय/ Major Subject	निर्देशानुसार ऐच्छिक
३	गौण विषय/ Minor Subject	Elements of Physical Education
४	Skill Development/ Vocational	Commercial Hindi
५	Co-curricular	Food, Nutrition & Hygine

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के लिये विषयगत मेजर प्रश्न-पत्र निम्न प्रकार हैः-

1. Business Organisation
2. Business Statistics

१	मुख्य विषय/ Major Subject	Business Organisation
२	मुख्य विषय/ Major Subject	Business Statistics
३	गौण विषय/ Minor Subject	Business Communication OR Introduction of Computer Application
४	Skill Development/ Vocational	Commercial Hindi
५	Co-curricular	Food, Nutrition & Hygine

NEP २०२० के तहत् बी.बी.ए. (छः सत्रीय त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

महाविद्यालय के बावनबीघा परिसर में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत बी.बी.ए. पाठ्यक्रम संचालित होता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रति छः माह के अन्तराल पर सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 70 अंक की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा एवं 30 अंक की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा ली जाती है।

बी.बी.ए. (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम का प्रति सेमेस्टर अध्ययन शुल्क एवं धरोहर राशि की जानकारी बावनबीघा कैम्पस से प्राप्त की जा सकती है। बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम में प्रवेश हेतु आवेदक अपने आवेदन पत्र में इच्छानुसार द्वितीय वरीयता के रूप में बी.बी.ए. का विकल्प भर सकते हैं। मूल पाठ्यक्रम में प्रवेश न होने पर उन्हें बी.बी.ए. में प्रवेश हेतु विचारित किया जायेगा।

बी.बी.ए. (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) से सम्बंधित प्रवेश व परीक्षा की सभी सूचनायें महाविद्यालय के बावन-बीघा परिसर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। बी.बी.ए. (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) के डायरेक्टर प्रो० अभिजीत डे (मोबाइल नं०: 9452035276) हैं।

NEP २०२० के तहत् स्नातकोत्तर अध्ययनः एम.ए. सेमेस्टर पाठ्यक्रम

(१) हिन्दी, (२) अंग्रेजी, (३) राजनीति विज्ञान, (४) मनोविज्ञान, (५) सांख्यिकी (६) गणित (७) भूगोल

इसमें से अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल विषय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्त विषयों की परीक्षा सेमेस्टर द्वारा होती है। सभी विषयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वही छात्र सामान्यतः अर्ह हैं जिन्होंने बी.ए. त्रिवर्षीय परीक्षा उस विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

NEP २०२० के तहत् स्नातकोत्तर अध्ययनः एम.कॉम. सेमेस्टर पाठ्यक्रम

एम.कॉम. के प्रवेशार्थियों के लिए बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एम.कॉम. की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा होगी।

NEP २०२० के तहत् स्नातकोत्तर अध्ययनः एम.एस-सी. सेमेस्टर पाठ्यक्रम

विषय – (१) गणित (२) सांख्यिकी (३) रसायन विज्ञान (४) वनस्पति विज्ञान (५) प्राणि विज्ञान (६) भौतिक विज्ञान

इसमें से रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विषय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत है।

इन विषयों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली द्वारा होती है।

उपरोक्त सभी विषयों के प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर प्रवेश हेतु वही छात्र अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा उस विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

स्नातकोत्तर विषयों में माइनर के रुप में संचालित होने वाले प्रश्नपत्रों का निर्धारण

१	M. Com.	Nation Building & Political Process in India (Political Science)	कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
२	Political Science	Management Concept & Practice (Commerce)	Faculty of Commerce
३	Statistics	Management Concept & Practice (Commerce)	Faculty of Commerce
४	Geography	Management Concept & Practice (Commerce)	Faculty of Commerce
५	Hindi	Management Concept & Practice (Commerce)	Faculty of Commerce
६	Psychology	Management Concept & Practice (Commerce)	Faculty of Commerce
७	English	Management Concept & Practice (Commerce)	Faculty of Commerce
८	Physics	सोशल मीडिया एवं हिन्दी (हिन्दी)	भाषा संकाय
९	Chemistry	सोशल मीडिया एवं हिन्दी (हिन्दी)	भाषा संकाय
१०	Botany	सोशल मीडिया एवं हिन्दी (हिन्दी)	भाषा संकाय
११	Zoology	सोशल मीडिया एवं हिन्दी (हिन्दी)	भाषा संकाय
१२	Maths	सोशल मीडिया एवं हिन्दी (हिन्दी)	भाषा संकाय

विशेषः- स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय सेमेस्टर में एक माइनर पेपर पढ़ना अनिवार्य है, जो छात्र के संकाय से इतर पृथक संकाय का होगा। महाविद्यालय में उपर्युक्त माइनर पेपर पढ़ाया जाता है।

शिक्षा संकाय (बी.एड.)

बी.एड. कक्षा में प्रवेश रा.अ.शि.प. के नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर होता है। किसी संस्थान के पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सेवारत अभ्यर्थी अधिकारी की पूर्व अनुमति एवं सत्रान्त तक के अवकाश प्रमाण-पत्र के अभाव में बी.एड. में प्रवेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। बी.एड. विषय के प्रश्न-पत्र इत्यादि की जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/विभाग से सम्पर्क स्थापित करें। बी. एड. परीक्षा देने हेतु रा.अ.शि.प. के नियमानुसार ७५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, उपस्थिति पूर्ण न होने की दशा में विश्वविद्यालयीय परीक्षा एवं छात्रवृत्ति से वंचित किया जा सकता है। यह द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है जिसमें चार सेमेस्टर हैं।

विधि संकाय

विधि संकाय स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित नियमानुसार होगा :

1. विधि प्रथम सेमेस्टर में योग्यताप्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रवेश-परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता सूची के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश होगा। सम्बन्धित प्रवेशाथी के पास बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से कम से कम त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि होनी चाहिये।
2. बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर ४५ प्रतिशत अंक तक, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर ४२ प्रतिशत अंक तक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को ४० प्रतिशत अंक प्राप्त रहने पर ही प्रवेश देय होगा। विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देश ही मान्य होंगे।
3. विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये उम्र की सीमा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।
4. किसी भी प्रकार का भारांक (एन.सी.सी. एन.एस.एस., रोवर्स रेंजर्स) विधि (एलएल.बी) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बार कौंसिल द्वारा अनुमन्य नहीं है।
5. इस संकाय में एलएल. बी. के छः सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अध्ययन एवं परीक्षा की व्यवस्था है। चूँकि एलएल. बी. शिक्षा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है, अतः बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार किसी भी छात्र को किसी भी अवस्था में अन्य स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा के साथ विधि के अध्ययन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

विस्तृत विवरण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत प्रकाशक द्वारा प्रकाशित प्रास्पेक्टस देखें जो पुस्तकालय में तथा महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके लिये विभाग से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

शोध- निर्देशन

शोध कार्य हेतु इच्छुक छात्र/छात्रायें सम्बन्धित विषय के विभाग प्रभारी से सम्पर्क करें। शोध कार्य में पंजीकरण कराने हेतु अभ्यर्थी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत महाविद्यालय में शोध पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के उपरान्त छात्र/छात्रायें महाविद्यालय के पुस्तकालय की सदस्यता भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रवेश प्राप्ति शुल्क की रसीद दिखलाने पर पुस्तकालयाध्यक्ष उसे पुस्तकालय कार्ड देंगे, जिस पर विद्यार्थियों को पुस्तकें निर्गत की जायेंगी और उनके द्वारा पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों की प्रविष्टियाँ भी होंगी। १५ दिन के भीतर पुस्तक न लौटाने पर छात्र को ५० पैसे प्रतिदिन की दर से पुस्तकालयीय अर्थदण्ड देना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्धता के आधार पर स्नातक स्तर पर रू० ४००=०० मूल्य तक की एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रू० ५००=०० मूल्य तक की अधिक से अधिक दो पुस्तकें प्रदान की

जा सकती हैं। सन्दर्भ (रेफरेन्स) पुस्तकें किसी भी विद्यार्थी को निर्गत नहीं होंगी। ऐसी पुस्तकें छात्र/छात्राएँ पुस्तकालय में ही बैठकर पढ़ सकते हैं। पुस्तकों को क्षति पहुँचाने वाले को दण्डित किया जायेगा। पुस्तकालय प्रभारी प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा (प्रभारी, इतिहास विभाग) हैं। इनफ्लिबनेट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ऑनलाइन पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसके लिए पुस्तकालय प्रभारी से से सम्पर्क करें।

बुक-बैंक

निर्धन छात्रों के सहायतार्थ महाविद्यालय पुस्तकालय में बुक-बैंक की भी स्थापना की गयी है। बुक-बैंक से परीक्षा तक के लिए पाठ्य-पुस्तकें देने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार व्यवस्था है। इसके लिये छात्रों को अलग से आवेदन करना होगा।

शुल्क–भुगतान

(१) जुलाई से जून तक बारह महीने के लिए देय शिक्षण शुल्क का विवरण -

(अ) एम.कॉम./एम.ए./एम.एस-सी (सांख्यिकी एवं गणित) एम.ए. (हिन्दी)	रू० 15-00 प्रतिमाह
(ब) बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम,	रू० 11-00 प्रतिमाह
(स) बी.एड.	रू० 18-00 प्रतिमाह
(द) एल.एल.बी.	रू० 15-00 प्रतिमाह

नोट- राजकीय तथा विश्वविद्यालयीय निर्देश प्राप्त होने पर किसी भी समय शिक्षण-शुल्कों की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है।

(२) सत्रारम्भ में नये प्रवेशार्थियों को निम्नलिखित शुल्क देय होंगे-

1. प्रवेश शुल्क	रू 5-00 प्रतिवर्ष
2. पंजीकरण शुल्क	रू० 2-00 प्रतिवर्ष
3. महँगाई शुल्क	रू० 3-50 प्रतिमाह
4. पंखा शुल्क	रू० 6-00 प्रतिवर्ष
5. जेनरेटर शुल्क	रू० 100-00 प्रतिवर्ष
6. पुस्तकालय	
(क) बी.ए. बी.एस-सी., बी.कॉम.	रू. 72-00 प्रतिवर्ष
(ख) एम.कॉम., एम.ए./एम.एस-सी.(सांख्यिकी, गणित) एम.ए. (हिन्दी), एल.एल.बी., बी.एड.	रू. 72-00 प्रति वर्ष
7. वाचनालय शुल्क (स्नातक)	रू० 36-00 प्रतिवर्ष
8. वाचनालय शुल्क (स्नातकोत्तर)	रू० 36-00 प्रतिवष
9. विद्यार्थी सहायक सभा	रू० 12-00 प्रतिवर्ष
10. परिचय-पत्र शुल्क	रू० 30-00 प्रतिवर्ष
11. नामांकन शुल्क	रू० 100-00 प्रतिवर्ष
12. परीक्षा शुल्क (स्नातक)	रू० 800-00 प्रति सेमेस्टर
13. परीक्षा शुल्क (स्नातक) एल.एल.बी.	रू० 1000-00 प्रति सेमेस्टर
14. परीक्षा शुल्क बी.एड.	रू० 1500-00 प्रति सेमेस्टर
15. पत्रिका	रू० 50-00 प्रति वर्ष
16. रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	रू० 30-00 प्रतिवर्ष
17. क्रीडा शुल्क	रू० 120-00 प्रति वर्ष
18. विकास शुल्क	रू० 120-00 प्रति वर्ष
19. समारोह	रू० 15-00 प्रति वर्ष
20. छात्रसंघ	रू० 100-00 प्रति वर्ष
21. पी.टी. (केवल बी.एड.)	रू० 15-00 प्रति वर्ष
22. पाठ्य योजना पुस्तिकाएँ (केवल बी.एड.)	रू० 500-00 प्रतिवर्ष
23. स्काउट गाइड (केवल बी.एड.)	रू० 550-00 प्रति वर्ष
24. डायरी (केवल बी.एड.)	रू० 700-00 प्रति वर्ष
25. योगा (केवल बी.एड.)	रू० 500-00 प्रति वर्ष

26. अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम शुल्क — रू० 35-00 प्रति वर्ष
27. बार काउन्सिल शुल्क (स्नातक) एल.एल.बी. — रू० 500-00 प्रति सेमेस्टर
28. मिड टर्म शुल्क (स्नातक व स्नातकोत्तर) एल.एल.बी. एवं बी०एड० के अतिरिक्त — रू० 100-00 प्रति सेमेस्टर
29. स्किल डेवेलपमेण्ट/वोकेशनल शुल्क (स्नातक) एलएल.बी. एवं बी०एड० के अतिरिक्त — रू० 250-00 प्रति सेमेस्टर
30. कॉशन मनी (संचित निधि)

(क) पुस्तकालय

स्नातक कक्षाओं हेतु बी.ए./बी.कॉम	रू० 300-00 प्रति वर्ष
बी.ए (प्रायोगिक विषय)	रू० 350-00 प्रति वर्ष
बी.एस-सी. (पी.एम.सी./पी.एम.एस.)	रू० 400-00 प्रति वर्ष
बी.एस-सी. (बी.जेड.सी.)	रू० 450-00 प्रति वर्ष
पुस्तकालय (परास्नातक वित्तपोषित कक्षाओं हेतु)	रू० 400-00 प्रति वर्ष
पुस्तकालय (परास्नातक स्ववित्तपोषित कक्षाओं हेतु)	रू० 500-00 प्रति वर्ष
पुस्तकालय बी.एड.	रू० 400-00 प्रति वर्ष
पुस्तकालय विधि	रू० 300-00 प्रति वर्ष

(ख) प्रति प्रयोगात्मक विषय

विज्ञान एवम् कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों के छात्रों से प्रति विषय प्रयोगशाला शुल्क	रू० 240-00 प्रति वर्ष
पाठ्यक्रमानुसार जिन विषयों (भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान) में पर्यटन की व्यवस्था है, उनमें स्नातक स्तर पर प्रति छात्र	रू० 20-00 प्रति वर्ष
उपाधि शुल्क अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु	रू० 200-00

विभिन्न संकायो में शोध के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निर्देशानुसार शुल्क देय होगा।

नये प्रवेशार्थियों द्वारा देय शुल्क की दरें -

बी.ए. भाग-१ (सामान्य)	रू० 2542-00
वित्तपोषित प्रायोगिक शुल्क प्रति विषय (अतिरिक्त)	रू० 240-00
बी.कॉम. भाग-१ (सामान्य)	रू० 2542-00
बी.एस-सी. भाग-१ (बी.जेड.सी. ग्रुप)	रू० 3192-00
बी.एस-सी. भाग-१ (पी.एम.सी./पी.एम.एस. ग्रुप)	रू० 3122-00
मास कम्यूनिकेशन एण्ड जनसंचार	रू० 5000-00
एम.ए. भाग-१ (हिन्दी)	रू० 3620-00
एम.ए. भाग-१ (राजनीति विज्ञान एवं अंग्रेजी) (स्ववित्तपोषित) वार्षिक	रू० 11575-00
एम.ए. भाग-१ (मनोविज्ञान एवं भूगोल (स्ववित्तपोषित) वार्षिक	रू० 14575-00
एम.कॉम. भाग-१	रू० 3620-00
एम.एस-सी. भाग-१ (सांख्यिकी)	रू० 3860-00
एम.एस-सी. भाग-१ (गणित)	रू० 3620-00
एम.एस-सी. भाग-१ (रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान भौतिक विज्ञान (स्ववित्तपोषित) वार्षिक	रू० 17575-00
एल.एल.बी. (विधि) भाग-१ वार्षिक	रू० 4120-00
बी.एड. वार्षिक	रू० 4992-00

नोट -

१. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार उसके द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।

२. किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए निर्धारित शुल्क जमा हो जाने के बाद, छात्र के कक्षा में उपस्थित न होने पर वापस नहीं किया जायेगा।

३. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निर्देशानुसार स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को NEP-२०२० शुल्क रू० 120-00 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में देना होगा।

रसीद की प्रतिलिपि एवं शुल्क वापसी

रसीद की मूल प्रति गायब हो जाने पर उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने वाले छात्र को रू० १०.०० अलग से भुगतान करना आवश्यक होगा। एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् यदि छात्र सत्रान्त से पूर्व महाविद्यालय छोड़ता है तो उसे केवल प्रतिभूति धन ही वापस किया जायेगा।

परीक्षा आवेदन पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन-पत्र शुद्ध एवं पूर्णरूप से केवल एक भाषा में (हिन्दी/अंग्रेजी) में भरकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस कार्य में विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। परीक्षा आवेदन पत्र के जाँच पत्र (Verification Form) में विषयों/प्रश्न-पत्रों का नाम शुद्ध रूप से भरने या लिये गये विषयों एवं प्रश्न-पत्रों को परीक्षा आवेदन-पत्र, कम्प्यूटर प्रोफार्मा एवं जाँच पत्र में न लिखने पर उन विषयों के प्रश्न-पत्रों में परीक्षा न दे सकने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी पर ही होगा। परीक्षा आवेदन-पत्र में विषयों/प्रश्न पत्रों का नाम शुद्ध रूप से भरने हेतु सम्बन्धित विभाग अथवा परीक्षा विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

महाविद्यालय के जो विद्यार्थी अपना ऑनलाइन परीक्षा आवेदन-पत्र सम्यक् रूप से भरकर योग्यता प्रदायी परीक्षा के अंक पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाणपत्र/ प्रवजन प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक जमा कर देंगे, केवल उन्हीं का परीक्षा आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय के लिए अग्रसारित किया जायेगा। अपूर्ण, अस्थाई प्रवेश प्राप्त (Provisional Admisson) एवं निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा आवेदन-पत्र किसी भी अवस्था में अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आवेदन-पत्र एवं उस पर चस्पा किये गये फोटो का सत्यापन महाविद्यालय में ही अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को यह विशेष ध्यान रखना है कि वे अपने आवेदन-पत्रों को अन्य किसी अधिकारी से कदापि अग्रसारित न करवाएँ।

नामांकन

महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में नामांकित होने के लिए प्रवेश शुल्क जमा करते समय नामांकन आवेदन-पत्र भरना आवश्यक है। नामांकन आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थियों को अपनी पूर्व शिक्षण-संस्था से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रतिभूति धन की वापसी

परीक्षाफल घोषित होने के तीन महीने बाद आवेदन करने पर छात्र को प्रतिभूति धन लौटा दिया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन न करने पर यह धन कालातीत होकर महाविद्यालय कोष में जमा हो जायेगा।

अनुशासनिक नियम एवं निर्देश

आप एक विद्यार्थी के रूप में महाविद्यालय के सदस्य हैं और आशा की जाती है कि आप अपने क्रिया-कलापों एवम् आचरण के प्रति सचेष्ट रहकर महाविद्यालय के गौरव की अभिवृद्धि करेंगे। एतद् निमित्त प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है-

1. प्रत्येक विद्यार्थी को एक परिचय पत्र प्राप्त होगा जिसे सम्बन्धित प्राक्टर/नियन्ता से हस्ताक्षर कराकर सदैव अपने पास रखना आवश्यक है और महाविद्यालय के प्राध्यपाकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा माँगने पर तत्काल दिखाना अनिवार्य है।
2. परिचय-पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होगा।
3. परिचय-पत्र गायब हो जाने या किसी दूसरे का परिचय-पत्र पा जाने की सूचना छात्र/छात्रा को महाविद्यालय के मुख्य नियन्ता (चीफ प्राक्टर) को अवश्य देनी चाहिए।

4. जिस छात्र/छात्रा का मूल परिचय पत्र गायब हो जायेगा उसे महाविद्यालय कार्यालय में रू० २०.०० शुल्क जमा करके प्रतिलिपि परिचय-पत्र/पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करना होगा। यदि छात्र पुस्तकालय कार्ड भी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग से रू० २०.०० जमा करना होगा। इसके लिये उसे आवश्यक सूचनाओं के साथ कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र भी देना होगा।
5. किसी छात्र/छात्रा द्वारा अन्य के परिचय-पत्र का प्रयोग अक्षम्य अपराध माना जायेगा।

विशेष ध्यातव्य नियम

यह विशेष ध्यातव्य है कि आप जब तक महाविद्यालय में रहें, यहाँ के नियमों एवं अनुशासन का पूर्ण पालन करें। निम्नलिखित कार्य-कलाप पूर्णतः वर्जित है :-

1. महाविद्यालय के किसी क्षेत्र में निरूद्देश्य इधर-उधर घूमना, बरामदों में भीड़ लगाना अथवा सभाकक्ष में यत्र-तत्र दो चार के समूह में बैठकर अमर्यादित ढ़ंग से बातें करना।
2. महाविद्यालय में धूम्रपान करना पूर्णतः प्रतिबन्धित/वर्जित है।
3. महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
4. महाविद्यालय भवन की दीवारों या और कहीं पर पोस्टर चिपकाना या लिखना। अन्य किसी तरह की स्थायी विकृति जैसे नियत स्थान के अतिरिक्त और कहीं पान खाकर थूकना या कागज आदि फेंकना।
5. महाविद्यालय के मुख्य द्वार से साइकिल पर चढ़कर महाविद्यालय में प्रवेश करना तथा बाहर निकलना।
6. किसी प्राध्यापक, अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा उसके पूछने पर अपना परिचय जैसे नाम, पता आदि न बताना।
7. महाविद्यालय प्रांगण में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का लाना और उसका प्रयोग करना।
8. महाविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी रूप में क्षति पहुँचाना।
9. महाविद्यालय में बिना मास्क के प्रवेश करना एवं शारीरिक दूरी का ध्यान न रखना। (किसी विशेश परिस्थिति में।)

उपर्युक्त नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और दुराचरण के अनुसार ही दण्ड दिया जायेगा तथा महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

नियंता मंडल

महाविद्यालय में अनुशासन बनाने के लिए नियंता मंडल है, जिसके मुख्य नियंता प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह (प्रोफेसर एवं प्रभारी, वाणिज्य विभाग) हैं। नियंता मण्डल विद्यार्थियों के क्रिया-कलापों एवं उनके आचरण पर ध्यान रखता है। प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि नियंता मंडल के निर्देशों का पालन करें। विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश लेने के तुरन्त बाद परिचय-पत्र सम्बन्धि नियन्ता (प्राक्टर) से हस्ताक्षर कराकर अपने पास सदैव रखें।

सूचना प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना के त्वरित निस्तारण हेतु सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जनसूचना अधिकारी डॉ० सत्येन्द्र कुमार सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, विधि विभाग) हैं।

आन्तरिक गुणवत्त आश्वासन प्रकोष्ठ (आई० क्यू० ए० सी०)

यह एक आन्तरिक तन्त्र है जो शिक्षा की गुणवत्ता व समग्र संसीागत प्रदर्शन में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया है।

एण्टी-रैगिंग समिति

यह एक आन्तरिक शिकायत समिति है जो शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने और उससे निपटने के लिए बनायी जाती है। इस समिति द्वारा रैगिंग की घटनाओं को दर्ज करके उसकी जॉचकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

महिला उत्पीड़न शिकायत प्रकोष्ठ

यह एक आन्तरिक शिकायत समिति है। इसका कार्य महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों को हल करना, सम्बन्धित कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान करना है।

एण्टी-रैगिंग समिति

यह एक आन्तरिक शिकायत समिति है जो शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने और उससे निपटने के लिए बनायी जाती है। इस समिति द्वारा रैगिंग की घटनाओं को दर्ज करके उसकी जॉचकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

इन्नोवेशन सेल

इस सेल की प्राथमिकता युवा छात्र/छात्राओं को नये विचारों एवं प्रक्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना तथा उनका पोषण करना है।

साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में उक्त स्टैण्ड की व्यवस्था की गयी है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपना वाहन साइकिल स्टैण्ड में ही जमा करने के पश्चात् टोकन अवश्य प्राप्त कर लें।

उपस्थिति

विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक कक्षा में ७५ प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति वाले छात्रों को विश्वविद्यालयीय परीक्षा एवं छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा की होगी। विद्यार्थी को समय-समय पर अपनी उपस्थिति के विषय में अवगत होते रहने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(क) विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति की न्यूनता सम्बन्धी सूचना के लिए समय-समय पर सूचना-पट्ट पर सूचनाएँ लगायी जाती हैं। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने पाल्यों का पूरा ध्यान रखेंगे।

(ख) प्राध्यापक अपनी कक्षा-पंजिकाओं में भी उपस्थिति का ब्यौरा रखते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सम्बन्धित प्राध्यापकों से समय-समय पर अपनी उपस्थिति की जानकारी के लिए सम्पर्क करते रहेंगे।

ज्योतिष्मती (पत्रिका)

छात्रों को रचनात्मक लेखन का अभ्यास कराने तथा उनकी विविध अभिरूचियों के परिष्कार एवम् परिपक्वता हेतु महाविद्यालय पत्रिका 'ज्योतिष्मती' का प्रकाशन प्रतिवर्ष होता है। इसके माध्यम से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपनी सुरूचिपूर्ण रचनाओं को प्रकाशित कराने का सुअवसर प्राप्त होता है। रचनाओं का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत होना चाहिए और रचनाएँ मौलिक तथा स्तरीय होनी चाहिए। छात्रों से आशा की जाती है कि वे पत्रिका की मुख्य सम्पादिका प्रोफेसर ऋचा सिंह (हिन्दी विभाग की प्रभारी एवं भाषा संकाय की संकायाध्यक्ष) के निर्देशन में इस सुविधा का सदुपयोग करेंगे।

परिसर-साक्षात्कार/प्लेसमेण्ट सेल

'कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेल' महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कैरियर निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन प्रदान करता है। विभिन्न ख्यातिलब्ध संस्थाओं से रिसोर्स पर्सन्स को आमंत्रित कर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उनसे परिसंवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं द्वारा परिसर साक्षात्कार की माँग पर छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार सम्पन्न कराया जाता है। यह सेल छात्र/छात्राओं को उनके ग्रेड्स, स्किल्स एवं योग्यता के आधार पर सेवायोजन के अवसर प्रदान करता है।

रियायती रेलवे यात्रा

रेलवे के नये नियम के अनुसार रियायती रेलवे यात्रा के लिए केवल ग्रीष्मावकाश, दुर्गापूजा तथा शीतावकाश में छात्रों को घर जाने के निमित्त ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। प्रवेश आवेदन-पत्र में उल्लिखित स्थायी पते पर ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। स्थायी पते में परिवर्तन होने पर प्राचार्य को सप्रमाण तुरन्त सूचित करें अन्यथा परिवर्तित पते पर रेलवे कन्सेशन की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी।

नेशनल कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

महाविद्यालय में एन.सी.सी. के प्रशिक्षण की सुविधा है। वर्ष में कई कैम्प एवं शूटिंग प्रतियोगिताएँ होती हैं। भारतीय सेना, पुलिस, बी.एस.एफ. एवं आर.पी..एफ. आदि में भर्ती होने का मार्ग इसके द्वारा प्रशस्त होता है। 'बी' एवं 'सी' सर्टिफिकेट की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष होती हैं। महाविद्यालय में एक कम्पनी है। इच्छुक छात्रों को **लेफ्टिनेण्ट (डॉ०) राम आशीष** (हिन्दी विभाग) से एन.सी.सी. कार्यालय में सम्पर्क करना चाहिए। **लेफ्टिनेण्ट (डॉ०) राम आशीष का मोबाइल सं०: 8318081863 है।**

छात्र कल्याण कोष

शुल्क मुक्ति एवं छात्र सहायता निधि हेतु छात्र-कल्याण कोष की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की पॉच इकाइयाँ हैं, जिसके द्वारा समाज-सेवा के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। इसमें सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेते समय भारांक देय होता है। इस योजना में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी- **डॉ० शिवानन्द यादव** (भूगोल विभाग) **मोबाइल सं०: 6306563474**, **डॉ० वन्दना पाण्डेय** (वाणिज्य विभाग) **मोबाइल सं०: 7905117373**, **डॉ० दिव्यानी बरनवाल** (वाणिज्य विभाग) **मोबाइल सं०: 7380459844**, **डॉ० राजेन्द्र प्रसाद** (बी.एड. विभाग) **मोबाइल सं०: 7905982453** एवं **डॉ० प्रज्ञा ओझा** (हिन्दी विभाग) **मोबाइल सं०: 7909604154**

रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्रों के लिए रोवर्स प्रशिक्षण शिविर एवं छात्राओं के लिए रेन्जर्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। रोवर्स दल के प्रभारी **डॉ० सुमित कुमार** (असिस्टेण्ट प्रोफेसर, सांख्यिकी विभाग) **मोबाइल सं०: 8604413471** एवं रेंजर्स दल की प्रभारी **श्रीमती निधि** (असिस्टेण्ट प्रोफेसर, सांख्यिकी विभाग) **मोबाइल सं०: 9452943931** हैं।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

महाविद्यालय में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली (IGNOU) का नियमित अध्ययन केन्द्र (48048) ०२ अप्रैल, २०१८ से प्रारम्भ है। जिसमें बी.ए. बी.कॉम., एम.कॉम व एम.ए. (समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र), बी०बी०ए०, एम० एस-सी० रसायन विज्ञान तथा विधि (LAW) के १० पी.जी. डिप्लोमा व सर्टिफिकेट के कोर्स संचालित हैं।

विस्तृत जानकारी के लिये इस केन्द्र के समन्वयक **प्रोफेसर अनिल कुमार** (प्रभारी, रसायन विज्ञान विभाग, मोबाइल नं० **9415979336**) एवं सह-समन्वयक **डॉ० ओम शर्मा** (प्रभारी, विधि विभाग, मोबाइल नं० **9415813223**) से सम्पर्क करें।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की इकाई कार्यरत है। इस विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन की व्यवस्था है। उपरोक्त के अतिरिक्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा के कई पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक विषयों के कई पाठ्यक्रम के अध्ययन/अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए इस केन्द्र के समन्वयक **प्रो० प्रभाकर सिंह** (प्रोफेसर एवं प्रभारी, सांख्यिकी विभाग, मोबाइल नं० **9415988287**) एवं सह-समन्वयक **प्रो० संजय श्रीवास्तव** (प्रोफेसर एवं प्रभारी, वनस्पति विज्ञान विभाग मोबाइल नं० **9415635846**) से सम्पर्क करें।

भारतेन्दु परिसर, बावनबीघा का विकास

पाण्डेयपुर से चार किमी० आजमगढ़ मार्ग पर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र की जन्मस्थली व रिंग रोड के समीप महाविद्यालय का नया परिसर भारतेन्दु नगर, बावनबीघा जिसका क्षेत्रफल १७ एकड़ है, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारतेन्दु पुण्यशती वर्ष के अवसर पर भारतेन्दु बाबू की पुण्य स्मृति में इस भूखण्ड पर भारतेन्दु परिसर का शिलान्यास प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व० वीर बहादुर सिंह ने सन् १९८६ में किया था। इस नूतन परिसर में समस्त संसाधनों से परिपूर्ण खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु एक विशाल क्रीडास्थल भी उपलब्ध है जिसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं के साथ-साथ समस्त खेलकूद कार्यक्रम समय-समय पर सम्पन्न होते रहते हैं।

खेल-कूद परिषद

महाविद्यालय में खेल-कूद परिषद द्वारा छात्र/छात्राओं को खेल-कूद की सुविधा प्रदान की जाती है। इस महाविद्यालय के लिये यह गौरव की बात है कि यहाँ के छात्र/छात्रायें महाविद्यालयीय, विश्वविद्यालयीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय खेलों में भाग लेकर महाविद्यालय की कीर्ति में श्रीवृद्धि करते रहे हैं। महाविद्यालय खेल-कूद नीति निर्धारण महाविद्यालय खेल-कूद परिषद् द्वारा होता है। महाविद्यालय के प्राचार्य इसका पदेन अध्यक्ष होता है। विभिन्न खेल-कूदों के लिए अलग-अलग क्रीडाध्यक्ष (Chairman) हैं। खेलों में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को विभिन्न खेल-कूद के अधिकृत क्रीडाध्यक्षों से सम्पर्क करना चाहिए। खेल-कूद परिषद के सचिव के संचालन में खेल-कूद का प्रशिक्षण एवं अभ्यास महाविद्यालय के नूतन परिसर बावनबीघा में प्रतिदिन अपराह्न ०२:०० बजे से ०५:०० बजे तक चलता रहता है एवं महाविद्यालय के मैदागिन परिसर में अन्तः कक्ष (इन्डोर गेम) की व्यवस्था है।

1. प्रो० रजनीश कुँवर- अध्यक्ष, खेलकूद परिषद् (प्राचार्य)
2. प्रो० विश्वनाथ वर्मा
3. प्रो० रागिनी श्रीवास्तव
4. प्रो० अनिल कुमार
5. प्रो० अशोक कुमार सिंह- मुख्य नियन्ता
6. प्रो० गजेन्द्र दास
7. प्रो० कनकलता विश्वकर्मा
8. प्रो० शुभ्रा सिंह
9. डॉ० धर्मेन्द्र गुप्ता
10. डॉ० सीमा सिंह
11. डॉ० संजय कुमार सिंह- सचिव, खेलकूद परिषद

उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य सभी खेल प्रभारी।

सूचना-प्रसारण

महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद, प्रवेश तथा परीक्षा विषयक और अन्य समस्त आवश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाओं को सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.hcpgcollege.edu.in पर देख सकते हैं। महाविद्यालय की दैनिक गतिविधियों से अवगत होते रहने के लिए छात्रों को नियमित रूप से सूचना पट्ट का अवलोकन करते रहना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अनेक आवश्यक महाविद्यालयीय गतिविधियों की जानकारी से वंचित हो जायेंगे और ऐसी अवस्था में अनेक सुअवसरों का लाभ न उठा पाने के उत्तरदायी वे स्वयं होंगे। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित सूचना भी समय-समय पर सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.hcpgcollege.edu.in पर देख सकते हैं। इस विषय में जानकारी हेतु विद्यार्थी महाविद्यालय में सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करें।

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त पुरस्कार

प्रो० उजागिर सिंह स्मृति पुरस्कार (भूगोल विभाग)

बी.ए. अन्तिम वर्ष में भूगोल विषय के साथ सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर प्रो. उजागिर सिंह स्मृति भूगोल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार प्रो. उजागिर सिंह, भू.पू. अध्यक्ष भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सम्मान में दिया जाता है। आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन से प्रख्यात भूगोलविद् स्व० प्रो. इडसी स्टैम्प के निर्देशन में पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त की थी।

प्रो० भगवान दास अग्रवाल पुरस्कार (गणित विभाग)

बी. एस-सी. (गणित) विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर पुरस्कृत किया जाता है।

श्रीमती कैलाश अग्रवाल पुरस्कार (गणित विभाग)

बी.कॉम. में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर पुरस्कृत किया जाता है।

डॉ० ब्रजभूषण सिंह पुरस्कार (प्राणि विज्ञान विभाग)

एम. एस-सी. प्राणि विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरातन छात्र संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

आशा पुरस्कार (रसायन विज्ञान विभाग)

एम. एस-सी. रसायन विज्ञान अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रभारी रसायन विज्ञान विभाग द्वारा अपनी स्वर्गीय माता आशा देवी जी की स्मृति में सहयोग राशि के रुप में प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरातन छात्र संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

डॉ० विजय चन्द्र श्रीवास्तव पुरस्कार (वनस्पति विज्ञान विभाग)

वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना के ५० वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष बी.एस-सी. (बायो) व स्नातकोत्तर (वनस्पति विज्ञान) कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को डॉ० विजय चन्द्र श्रीवास्तव (पूर्व विभाग प्रभारी, वनस्पति विज्ञान विभाग) द्वारा प्रदान की गयी सहयोग राशि से २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर पुरस्कृत किया जाता है।

डॉ० बद्री नारायण सिंह पुरस्कार (रसायन विज्ञान विभाग)

बी. एस-सी. रसायन विज्ञान अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को स्व० (डॉ०) बद्री नारायण सिंह (पूर्व प्राचार्य, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी) द्वारा प्रदान की गयी सहयोग राशि से प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर पुरस्कृत किया जाता है।

श्री लखेन्द्र प्रसाद सिंह पुरस्कार (रसायन विज्ञान विभाग)

बी. एस-सी. रसायन विज्ञान अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को श्री लखेन्द्र प्रसाद सिंह (पुरातन छात्र, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी) द्वारा प्रदान की गयी सहयोग राशि से प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरातन छात्र संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

स्व० विश्वनाथ सिंह पुरस्कार (विधि विभाग)

विधि विषय के अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व० विश्वनाथ सिंह के पुत्र डॉ० ओम शर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी, विधि विभाग, हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी) द्वारा प्रदान की गयी सहयोग राशि से प्रत्येक वर्ष २६ जनवरी (गणतन्त्र दिवस) के पावन पर्व पर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरातन छात्र संस्था द्वारा पुरस्कृत किया जाता है।

परीक्षा प्रकोष्ठ

अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण अंक-पत्रों के लिए परीक्षा प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा सम्बन्धी किसी अन्य समस्या के लिए भी इस प्रकोष्ठ से सम्पर्क किया जा सकता है। **प्रो० विश्वनाथ वर्मा** (प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास विभाग) एवं **प्रो० अनिल कुमार** (प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रसायन विज्ञान) प्रभारी नियुक्त हैं।

महाविद्यालय के प्राचार्यों की सूची

क्रम	प्राचार्य	कार्यकाल	
1	श्री बेनी प्रसाद गुप्ता	04/10/1951	30/06/1954
2	श्री वीरेश्वर बनर्जी	01/07/1954	30/06/1957
3	श्री कुँवर कृष्ण शाह	01/07/1957	31/03/1958
4	डॉ० राय गोविन्द चन्द	01/04/1958	30/08/1961
5	श्री कुँवर कृष्ण शाह	01/09/1961	31/06/1962
6	डॉ० कृष्ण स्वरुप श्रीवास्तव	01/07/1962	31/05/1965
7	श्री कुँवर कृष्ण शाह	01/06/1965	29/03/1972
8	पं० कान्ता नाथ पाण्डेय (राजहंस)	30/03/1972	22/11/1972
9	श्री जय नारायण मिश्र	23/11/1972	25/01/1974
10	डॉ० बिपिन बिहारी सिंह बिसेन	26/01/1974	30/04/1986
11	श्री ओम प्रकाश कपूर	01/05/1985	08/02/1988
12	श्री अजीत कुमार मुखर्जी	09/02/1988	15/07/1988
13	श्री ओम प्रकाश कपूर	16/07/1988	30/04/1989
14	डॉ० बिपिन बिहारी सिंह बिसेन	01/05/1989	30/06/1990
15	श्री ओम प्रकाश कपूर	01/07/1990	23/02/1992
16	डॉ० कमल गुप्त	24/02/1992	30/04/1992
17	डॉ० बद्री नारायण सिंह	01/05/1992	30/06/2001
18	डॉ० प्रेम नारायण त्रिपाठी	01/07/2001	29/06/2003
19	डॉ० बंश गोपाल सिंह	30/06/2003	27/08/2004
20	डॉ० प्रेम नारायण त्रिपाठी	28/08/2004	30/06/2006
21	डॉ० शिव शंकर राय	01/07/2006	09/11/2006
22	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	10/11/2006	30/06/2009
23	डॉ० गया सिंह	01/07/2009	19/09/2010
24	डॉ० विजयी राम यादव	20/09/2010	04/06/2013
25	डॉ० सोहन लाल यादव	05/06/2013	30/08/2018
26	डॉ० ओम प्रकाश सिंह	31/08/2018	14/07/2020
27	डॉ० ज्योत्सना चतुर्वेदी	15/07/2020	30/06/2021
28	डॉ० अनिल प्रताप सिंह	01/07/2021	28/03/2022
29	डॉ० अतुल कुमार तिवारी	28/03/2022	28/03/2022
30	प्रोफेसर रजनीश कुँवर	28/03/2022	अद्यतन

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

प्रोफेसर रजनीश कुँवर (प्राचार्य)

प्राध्यापक गण

भाषा संकाय

अधिष्ठाता- प्रोफेसर ऋचा सिंह

1– हिन्दी विभाग

1–	प्रो० (श्रीमती) ऋचा सिंह	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	लेफ्टिनेण्ट (डॉ०) राम आशीष	असिसटेण्ट प्रोफेसर
3–	डॉ० अमित कुमार	असिसटेण्ट प्रोफेसर
4–	श्रीमती प्रज्ञा ओझा	असिसटेण्ट प्रोफेसर

2– अंग्रेजी विभाग

1–	डॉ० सीमा सिंह	असिस्टेण्ट प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	सुश्री आकांक्षा सिंह	असिसटेण्ट प्रोफेसर
3–	रिक्त	

3- संस्कृत विभाग

1–	डॉ० रविकान्त कसौधन	असिस्टेण्ट प्रोफेसर एवं प्रभारी

वाणिज्य संकाय

अधिष्ठाता- प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह

1–	प्रो० अनिल प्रताप सिंह	प्रोफेसर (अवकाश)
2–	प्रो० प्रदीप कुमार पाण्डेय	प्रोफेसर (अवकाश)
3–	प्रो० अशोक कुमार सिंह	प्रोफेसर एवं प्रभारी
4–	प्रो० गजेन्द्र दास	प्रोफेसर
5–	प्रो० बृजेश कुमार जायसवाल	प्रोफेसर (अवकाश)
6–	डॉ० सोनल सिंह	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
7–	सुश्री गरिमा सिंह	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
8–	श्री अजय कुमार गौतम	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
9–	सुश्री दिव्यानी बरनवाल	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
10–	डॉ० वन्दना पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर
11–	रिक्त	
12–	रिक्त	

कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय

अधिष्ठाता- प्रोफेसर विश्वनाथ

1- राजनीति विज्ञान विभाग

1–	प्रो० अनुपम शाही	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	रिक्त	

2- प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग

1–	प्रो० विश्वनाथ वर्मा	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	प्रो० रागिनी श्रीवास्तव	प्रोफेसर

3- मनोविज्ञान विभाग

1–	प्रो० उदयन मिश्र	प्रोफेसर (अवकाश)
2–	प्रो० ममता वर्मा	प्रोफेसर एवं प्रभारी

4– भूगोल विभाग

1–	डॉ० शिवानन्द यादव	असिस्टेण्ट प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	श्री अमित पाण्डेय	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

5- अर्थशास्त्र विभाग

1–	प्रो० जगदीश सिंह	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	श्री करूणेश ओझा	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

6- मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग

1–	श्री विनीत कुमार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	रिक्त	

7- शारीरिक शिक्षा

1–	प्रो० विजय कुमार राय	प्रोफेसर (अवकाश)
2–	प्रो० संजय कुमार सिंह	प्रोफेसर एवं प्रभारी

विज्ञान संकाय

अधिष्ठाता- प्रोफेसर प्रभाकर सिंह

1- रसायन विज्ञान विभाग

1–	प्रो० अनिल कुमार	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	प्रो० अशोक कुमार सिंह	प्रोफेसर
3–	प्रो० शुभ्रा सिंह	प्रोफेसर
4–	डॉ० राकेश मणि मिश्र	एसोसिएट प्रोफेसर
5–	श्री शंकर राम	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
6–	श्री सर्वतेज कुमार मौर्य	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
7–	श्री राजपाल	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
8–	रिक्त	

2- भौतिक विज्ञान विभाग

1–	प्रो० आनन्द कुमार द्विवेदी	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	डॉ० दर्शन शर्मा	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
3–	डॉ० राहुल रंजन	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
4–	श्री श्री प्रकाश गुप्ता	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
5–	श्री सूर्य प्रताप	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

3- गणित विभाग

1–	प्रो० संगीता श्रीवास्तव	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2–	श्री योगेन्द्र प्रसाद	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
३-	श्री सारांश लोहिया	असिस्टेन्ट प्रोफेसर

4- वनस्पति विज्ञान विभाग

1—	प्रो० संजय श्रीवास्तव	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2—	डॉ० धीरज कुमार सिंह	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
3—	श्री आलोक कुमार सिंह	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
4—	रिक्त	

5- सांख्यिकी विभाग

1—	प्रो० प्रभाकर सिंह	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2—	श्रीमती निधि	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
3—	श्री रौशन कुमार जायसवाल	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
4—	डॉ० सुमित कुमार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

6- प्राणि विज्ञान विभाग

1—	प्रो० बिरेन्द्र कुमार निर्मल	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2—	डॉ० संगीता शुक्ला	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
3—	श्री देबब्रत कर्मकार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
4—	श्री बाबू जी	असिस्टेण्ट प्रोफेसर

शिक्षा संकाय

अधिष्ठाता- प्रोफेसर अनिता सिंह

1—	प्रो० अनिता सिंह	प्रोफेसर एवं प्रभारी
2—	प्रो० अनुराधा राय	प्रोफेसर
3—	प्रो० कनकलता विश्वकर्मा	प्रोफेसर
4—	श्री राजेन्द्र प्रसाद	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
5—	श्रीमती शेफाली पाल	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
6—	डॉ० दुर्गेश सिंह यादव	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
7—	डॉ० देवेन्द्र प्रताप सिंह	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
8—	श्री प्रमोद कुमार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
9—	डॉ० अनिल कुमार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर (अवकाश)
10—	रिक्त	
11—	रिक्त	
12—	रिक्त	

विधि संकाय

अधिष्ठाता- डॉ० ओम शर्मा

1—	प्रो० विजय कुमार राय	प्रोफेसर (अवकाश)
2—	डॉ० ओम शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी
3—	डॉ० सत्येन्द्र कुमार सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर
4—	डॉ० धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
5—	डॉ० रमेश कुमार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
6—	श्री विवेक यादव	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
7—	श्री अंकित रघुवंशी	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
8—	श्री अजीत कुमार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
9—	श्री निखिल कुमार	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
10—	श्री मोहम्मद अबू शाहिद	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
11—	सुश्री जान्हवी	असिस्टेण्ट प्रोफेसर
12—	रिक्त	
13—	रिक्त	
14—	रिक्त	
15—	रिक्त	

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षिकाएं

रसायन विज्ञान विभाग

1– डॉ० ब्रजेश पाठक असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० विजया असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3– रिक्त

वनस्पति विज्ञान विभाग

1– डॉ० अनुज प्रकाश असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० शिव नारायण दूबे असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3– डॉ० सत्येन्द्र कुमार मिश्र असिस्टेन्ट प्रोफेसर

प्राणि विज्ञान विभाग

1– डॉ० गीता रानी असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० प्रतिमा सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3– डॉ० राम लाल (अवकाश) असिस्टेन्ट प्रोफेसर

भौतिक विज्ञान विभाग

1– डॉ० मनोज कुमार पाल असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० रूचि सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3– डॉ० अच्छे लाल असिस्टेन्ट प्रोफेसर

राजनीतिशास्त्र विज्ञान विभाग

1– डॉ० उमेश कुमार राय असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० दिलीप कुमार सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर

मनोविज्ञान विभाग

1– डॉ० आशुतोष द्विवेदी असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० नीलम उपाध्याय असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अवकाश)
3– डॉ० राजेश कुमार झा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अवकाश)

अंग्रेजी विभाग

1– डॉ० नृपेन्द्र सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० पूजा वर्मा असिस्टेन्ट प्रोफेसर

भूगोल विभाग

1– डॉ० सदानन्द यादव असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० अभिषेक मिश्रा असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3– श्री अमर प्रताप असिस्टेन्ट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

1– डॉ० पूर्णिमा कुमारी पाल असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० आशुतोष पाण्डेय असिस्टेण्ट प्रोफेसर

शिक्षाशास्त्र विभाग

1– डॉ० सुदीप कुमार सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– डॉ० अखिलेश कुमार यादव असिस्टेन्ट प्रोफेसर

बी.सी.ए.

1– श्री आलोक कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– श्री अखिलेश कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3– श्री आशीष मिश्रा असिस्टेन्ट प्रोफेसर
4– श्री अंशुमान दीक्षित असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5– श्री मनोज कुमार यादव असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6– रिक्त

बी.बी.ए.

1– श्री मनीष कुमार गुप्ता असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2– श्री मदन मोहन चौधरी असिस्टेन्ट प्रोफेसर
3– रिक्त
4– रिक्त
5– रिक्त
6– रिक्त

तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी (नियमित शिक्षणेत्तर कर्मचारी)

कार्यालय (तृतीय श्रेणी)			चतुर्थ श्रेणी		
1–	श्री अवधेश नारायण शर्मा	सहायक	1–	श्री खड़ग बहादुर थापा	
2–	डॉ० शंकर शरण	वरिष्ठ सहायक	2–	श्री रामानन्द प्रसाद	
3–	श्री लाल जी वर्मा	सहायक	3–	श्री राजकुमार रावत	
4–	श्रीमती मीरा राय	सहायक	4–	श्री संकठा प्रसाद सिंह	
5–	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	सहायक	5–	श्री कमला प्रसाद	
6–	श्रीमती अनामिका राय	सहायक	6–	श्री गुलाब चन्द	
7–	श्रीमती प्रतिभा सिंह	सहायक	7–	श्री मन्हैया यादव	
8–	श्री शिव प्रताप सिंह चन्देल	सहायक	8–	श्री विजय नारायण सिंह	
9–	श्री प्रखर कुमार श्रीवास्तव	सहायक	9–	श्री विनोद कुमार सिंह	
पुस्तकालय			10–	श्री राकेश कुमार सिंह	
1–	श्री रोहित मिश्रा	कैटलागर	11–	श्री जय प्रकाश नारायण	
2–	श्री अखिलेश कुमार सिंह (I)	पुस्तकालय सहायक	12–	श्री सुनील कुमार	
3–	श्री अखिलेश कुमार सिंह (II)	पुस्तकालय सहायक	13–	श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव	
4–	श्रीमती संध्या सिंह	पुस्तकालय सहायक	14–	श्री महेन्द्र प्रसाद	
			15–	श्री राम चन्द्र सिंह	
			16–	श्री संजय कुमार	
			17–	श्री संतोष कुमार	
प्रयोगशाला (प्राणि विज्ञान)			18–	श्री सुशील कुमार रावत	
1–	सुश्री आर्ची सिंह	प्रयोगशाला सहायक	19–	श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनकर	
प्रयोगशाला (भौतिक विज्ञान)			20–	श्री राम नरेश	
2–	श्री मुरलीधर गिरि	प्रयोगशाला सहायक	21–	श्री विनोद कुमार गोड़	
			22–	श्री सुबास प्रसाद	
			23–	श्री राजेश कुमार सोनकर	
			24–	श्री सुजीत कुमार सिंह (रसायन विज्ञान)	
			25–	श्री विकास सिंह	
			26–	श्रीमती श्रेष्ठा रावत	
			27–	श्री पवन कुमार	

तृतीय श्रेणी (स्ववित्तपोषित शिक्षणेत्तर कर्मचारी)

प्राचार्य कक्ष/ कार्यालय			प्रयोगशाला सहायक		
1–	श्री सुजीत सिंह	सहायक	1–	श्री रितेश कुमार सिंह	रसायन विज्ञान विभाग
कार्यालय/परीक्षा विभाग/पुस्तकालय			2–	श्री अवनीश कुमार सिंह	प्राणि विज्ञान विभाग
1–	श्री उदय नारायण पाण्डेय	सहायक	3–	श्री गणेश कुमार यादव	मनोविज्ञान विभाग
2–	श्री हरिनाथ यादव	सहायक	4–	श्री वीरेन्द्र यादव	वनस्पति विज्ञान विभाग
3–	श्रीमती किरन यादव	सहायक	5–	श्री नन्द किशोर यादव	भौतिकी विज्ञान विभाग
4–	श्री विजय विश्वकर्मा	सहायक	6–	श्री जितेन्द्र कुमार यादव	भूगोल विभाग
5–	श्री सत्येन्द्र कुमार	सहायक	स्ववित्तपोषित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		
6–	श्री शशि शेखर मिश्रा	सहायक	1–	श्री राज बहादुर	बढ़ई मिस्त्री
7–	श्री संजय सिंह	सहायक			
8–	सुश्री पलक यादव	सहायक			